कोयले की अनुशंसा हेतु दिशा निर्देश (वर्ष 2008-09)

1. केवल उन्ही इकाईयों को कोल प्रदाय हेतु प्रकरण अग्रेषित करें जिन इकाइयों की कोयले की वार्षिक आवश्यकता 4200 मे.टन से कम हो ।
2. कोयले की अनुशंसा वित्तीय वर्ष हेतु की जावे क्योंकि सभी इकाईयों में उत्पादन, व्यय, विक्रय एवं कोल खपत आदि की जानकारी वित्तीय वर्ष के अनुसार की जाती है । समस्त विद्यमान इकाईयों की कोल अनुशंसा माह मार्च के अन्त तक अनिवार्य रूप से करें ।
3. इकाई द्वारा कोल प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र में सभी प्रविष्टियॉ पूर्ण रूप से भरे होने की स्थिति में ही जिला स्तर पर अग्रेतर कार्यवाही की जावे । आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है । कोल के अनुशंसा पत्र के साथ इकाई का आवेदन अवश्य संलग्न करें ।
4. इकाई में पिछले 3 वित्तीय वर्षो में हुई कोयले की खपत एवं सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम विकास संस्थान (एम.एस.एम.ई.डी.आई.) द्वारा आंकलित कोयले की कुल वार्षिक आवश्यकता की जानकारी दी जावे जिसमें मात्रा तथा ग्रेड का अलग-अलग स्पष्ट उल्लेख हो ।
5. स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रत्येक बिन्दु पर जानकारी दी जावे तथा जो कॉलम/ बिन्दु रिक्त हो उसके रिक्त रहने का कारण दर्शाया जावे । निरीक्षण प्रतिवेदन में कोई कांट-छांट न हो ।
6. निरीक्षण प्रतिवेदन में निरीक्षण कर्ता अधिकारी के मत से सहमत होने संबंधी टीप मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर की जावे एवं इकाई का मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा स्वयं भौतिक निरीक्षण कर इकाई के कार्यरत रहने संबंधी स्पष्ट टीप दी जावे ।
7. प्रस्तावित इकाई के संबंध में भूमि की जानकारी यथा स्वामित्व की है अथवा किराये/लीज की, स्थापित की गई मशीनों/संयंत्रों की सूची, विद्युत कनेक्शन की स्थिति, जल स्त्रोत की जानकारी , वित्तीय व्यवस्था की जानकारी, कच्चा माल क्रय की जानकारी तथा शेड निर्माण की स्थिति के साथ

--2--

मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक द्वारा स्थल निरीक्षण पश्चात प्रमाणित किया जावे कि "इकाई उत्पादन में जाने को तैयार है" । ऐसी इकाईयों को उत्पादन प्रारंभ करने हेतुकोयले की वार्षिक आवश्यकता का 25 प्रतिशत कोयले की अनुशंसा की जावे ।

8. उत्पादन में जाने को तैयार इकाईयों को छोड़कर केवल उन्हीं इकाईयों के आवेदन अग्रेषित करें जिन्होनें सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम विकास संस्थान (एम.एस. एम.ई.डी.आई.) से क्षमता आंकलन करवा लिया है ।

9. मुख्यालय द्वारा निर्धारित निरीक्षण प्रतिवेदन के अतिरिक्त ऐसे अन्य पहलुओं की भी जॉच निरीक्षण कर्ता अधिकारी द्वारा की जावे जो कोयले के उपयोग को सुनिश्चित करता हो एवं कोल के दुरूपयोग को रोकने में सहायक हो ।

10. इकाईयों को कोयला प्राप्ति एवं उपयोग संबंधी पंजी रखने के निर्देश दिये जावें एवं प्रति माह उसकी जांच की जावे ।

11. कोयले की प्राप्ति के 3 दिवस के अन्दर तथा कोयले का उपयोग करने के पूर्व इकाई द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को कोल प्राप्ति की सूचना दी जावे तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सूचना प्राप्ति के 3 दिवस के अन्दर प्राप्त कोयले का भौतिक निरीक्षण अनिवार्यतः किया जावे । सूचना देने के 3 दिवस के अन्दर कोयले का भौतिक सत्यापन नहीं किये जाने की स्थिति में इकाई कोयले का उपयोग करने हेतु स्वतंत्र होगी एवं भविष्य में आवंटित कोयले का दुरूपयोग पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जावेगा ।

12. प्रत्येक इकाई के लिये अलग–अलग अनुशंसा पत्र मुख्यालय प्रेषित किये जावे एवं पत्र में इस बात का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जावे कि इस इकाई को अनुशंसित वित्तीय वर्ष हेतु पूर्व में अनुशंसा नहीं की गई है ।

10/8/08

उद्योग आयुक्त
उद्योग संचालनालय,
छत्तीसगढ़

सरकार
मंत्रालय
नई दिल्ली-110001

सचिव
SECRETARY

Government of India
Ministry of Coal
Shastri Bhawan
New Delhi-110001

Telephone : 23384884
FAX : 23381678

D.O. NO. 23011/4/2007(Pt-II) /CPD

31st October, 2007

Dear Shri Singh,

As you are aware this Ministry has notified a New Coal Distribution Policy, which, especially addresses the issues pertaining to Supply of coal to small and medium consumers, who are finding difficulty in procurement of coal for their units. Details of the policy have already been circulated to all the State Governments and the same is also placed in the Website of this Ministry (http://coal.nic.in). A copy of circular issued is again enclosed for your ready reference.

I would like to outline briefly the relevant provisions in the New Coal Distribution Policy for supply of coal to small and medium consumers under State dispensation. Under this scheme, onus is placed upon the State Governments, especially in the matter of supply of coal and the mechanism involved therein:-

a) The State Governments are required to work out genuine requirements of such units in small and medium sector like Smokeless fuel, brick kiln, coke oven units etc. on a transparent and scientific basis and distribute coal to them accordingly.

b) The State Governments may take appropriate steps to evaluate the genuine consumption and monitor use of coal. The present cap is also enhanced to 4200 tonnes per annum for the targeted consumers under this category.

c) This quantity would be allocated for distribution to those units/consumers in small and medium sector across the country whose requirement is less than 4200 tonnes per annum and are otherwise not having any access to purchase coal or conclude Fuel Supply Agreement (FSA) for coal supply with coal companies.

d) The earmarked quantity would be distributed through agencies notified by the State Governments. These agencies could be State Govt. Agencies / Central Govt. Agencies (National Co-operative Consumer Federation[NCCF]/ National Small Industries Corporation[NSIC] etc) or industries associations, as the State Govt. may deem appropriate. The agency so notified will continue to distribute coal until the State Govt. chooses to denotify it.

coal requirement of the units will be sourced by them through e-auction / import of coal etc., as per their preference. The units which are yet to be commissioned but whose coal requirement has already been assessed and accepted by Ministry of Coal and linkage/LOA approved as well as future commitment finally made would also be covered accordingly.

All the existing linkage holders of erstwhile core and non core sector and not having FSAs would be required to enter into FSA with coal companies. At present small and tiny consumers in non core sector, whose annual consumption is less than 500 metric tonnes are eligible to get coal through State nominated agencies/NCCF etc. The scope of coverage through State nominated agencies is now being increased upto 4200 tonnes per annum. It means that now the distribution of coal to units whose requirement is upto 4200 tonnes per annum will be done through the agencies nominated by State Government. Units whose requirement is more than 4200 tonnes per annum will take coal directly from Coal India Limited/Subsidiary companies through FSAs. As far as the linked consumers of erstwhile non core sector, whose annual requirement is less than 4200 tonnes are concerned, they would be given the option to either entering into FSA with the coal company as per the terms and conditions, including satisfaction level applicable to the other consumers or they may opt out of FSA regime and access their coal requirement through agencies nominated by State Governments.

2.4 Coking Coal to Integrated Steel plants:

Supply of coal to Steel plants would be based on Fuel Supply Agreements (FSAs). The price of coal would be on the basis of import parity pricing with suitable adjustment for quality. This system is already in vogue.

3. Consumers in small & medium sector

3.1 The State Governments are requested to work out genuine requirement of such units in small and medium sector like Smokeless fuel, brick kiln, coke oven units etc. on a transparent and scientific basis and distribute coal to them accordingly. The State Governments may take appropriate steps to evaluate the genuine consumption and monitor use of coal. The present cap is also enhanced to 4200 tonnes per annum for the targeted consumers under this category. In order to meet the enhanced cap fixed for such consumers, the quantity earmarked for distribution to these agencies would also be increased to 8 million tonnes annually, to start with. This quantity would be allocated for distribution to those units/consumers in small and medium sector across the country whose requirement is less than 4200 tonnes per annum and are otherwise not having any access to purchase coal or conclude Fuel Supply Agreement (FSA) for coal supply with coal companies.

G. Srinivasan

..3/-

आदरणीय श्री भटनागर साहब को प्राप्त है

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश ।
(कच्चा माल कक्ष)

क्रमांक 56/आरएम/:1:/92/6067-6075 भोपाल, दि0 18/8/92

प्रति,

संयुक्त उद्योग संचालक,
पारिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय,
- - - - - - -

विषय:- औद्योगिक इकाईयों के पक्ष में कोयला अनुशंसित करने की व्यवस्था ।

सन्दर्भ:- क्रमांक 21/सीएम/:1:/89/19003-47 दिनांक 22.12.89 ।

संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से औद्योगिक इकाईयों के पक्ष में की गई अनुशंसा के विरुद्ध उपलब्ध कराये गये कोयले की स्थिति को देखते हुए निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है :-

1. केवल सड़क परिवहन द्वारा कोयला प्राप्त करने वाली नवीन इकाईयाँ जिनका प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी वेष्ठन 1.00 लाख से अधिक है -
   - अ. नवीन इकाईयों के प्रथम वर्ष पंजीकृत क्षमता के अनुसार 50%
   - ब. द्वितीय वर्ष क्षमता का 75%
   - स. तृतीय वर्ष पंजीकृत क्षमता का 100%
   - द. चतुर्थ वर्ष, उसके पश्चात गत तीन वर्षों की सर्वोत्तम खपत वाला वर्ष ।
2. रेल एवं सड़क परिवहन से कोयला प्राप्त करने वाली इकाईयों के संबंध में -
   - अ. प्रथम वर्ष पंजीकृत क्षमता का 15% रेल से एवं 35% सड़क से ।
   - ब. द्वितीय वर्ष 25% रेल से एवं 50% रोड से ।
   - स. तृतीय वर्ष 40% रेल से एवं 60% रोड से ।
   - द. चतुर्थ वर्ष, पिछले तीन वर्षों की उच्चतम खपत वाले वर्ष के अनुसार 50% रेल से एवं 50% सड़क से ।

नोट- जिन इकाईयों के प्लांट एवं मशीनरी में पूंजीवेष्ठन एक लाख रुपये तक है उनके पक्ष में त्रैमासिक आधार पर अनुशंसा की जावे, जिसके मापदण्ड निम्नानुसार होंगे ।

(3) शेष त्रैमासों की अनुशंसा प्रथम दो त्रैमासों की अनुशंसा के विरुद्ध प्राप्त कोयले की सही उपयोगिता पाये जाने के बाद ही की जा सकती है।

2. उपरोक्त व्यवस्था संदर्भित ज्ञापन में की गई व्यवस्था के स्थान पर 1.9.92 से लागू होगी।

अपर संचालक उद्योग
कृते उद्योग आयुक्त,
म.प्र.

(उद्योग आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

क्रमांक 56/आरएम/11/92/6076-6123 भोपाल, दि0 18/8/92

प्रतिलिपि:-

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, अंबिकापुर।

अपर संचालक उद्योग
कृते उद्योग आयुक्त,
म.प्र.

27/8

जिला उद्योग केन्द्र,

पत्र क्रमांक 2349

दिनांक 27.8.92

Raipur

कोयला प्राप्त करने हेतु इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र

1. इकाई का नाम — ....

2. इकाइं क़ स्थल का पता — ....

....

3. पत्राचार का पता — ....

....

....

4. दूरभाष कमांक — ....

5. इकाई के उत्पाद का नाम — ....

एवं पंजीकृत वार्षिक क्षमता ....

....

6. कोयले की वार्षिक आवश्यकता एवं ग्रेड — ....

7. सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम विकास संस्थान (एम.एस.एम.ई.डी.आई.) से क्षमता आंकलन —

अ. करवाया गया है अथवा नहीं — ....

ब. यदि हॉ तो अनुशंसित मात्रा एवं ग्रेड — ....

8. भूमि स्वामित्व की है अथवा किराये/लीज की — ....

9. यदि किराये/लीज की है तो किराये नामे/लीजडीड की अवधि — दिनांक ...... से दिनांक .... तक

10. वित्त पोषण करने वाली संस्था का नाम – ....

11. स्थापित विद्युत कनेक्शन का लोड – ....

12. विगत 3 वित्तीय वर्षों में कोल प्राप्ति एवं खपत का विवरण–

वर्ष	सीएसआईडीसी द्वारा जारी आवंटित मात्रा (मे.टन)	आवंटन के विरूद्ध प्राप्त मात्रा (मे.टन)	कोयले की श्रेणी	प्राप्त आवंटन के विरूद्ध वास्तविक खपत की मात्रा (मे.टन)

13. आवेदन की तिथि – ....

आवेदक के हस्ताक्षर एवं
इकाई की रबर मुद्रा

:: कोयले की अनुशंसा हेतु अतिरिक्त जानकारी ::

1. इकाई का कोल इंडिया से लिंकेज है अथवा नहीं -

2. गत तीन वर्षों में सी.एस.आई.डी.सी. एवं खुले बाजार से कोयले की खरीदी एवं उसकी खपत का विवरण :-

वर्ष	सी.एस.आई. डी.सी. से प्राप्त कोयले की मात्रा (मे. टन में)	खुले बाजार से क्रय किए गए कोयले की मात्रा(मे. टन में)	योग (2+3)	कोयले का ग्रेड	खपत की गई कोयले की मात्रा (मे. टन में)
1	2	3	4	5	6
2010–11					
2011–12					
2012–13					

3. पिछले तीन वर्षों का उत्पादन एवं विक्रय :-

वर्ष	उत्पादन	विक्रय
1	2	3
2010–11		
2011–12		
2012–13		

आवेदक के हस्ताक्षर
इकाई की सील

वित्तीय वर्ष .... हेतु कोल आवंटन के लिए निरीक्षण प्रतिवेदन

1. निरीक्षण कर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम– ....

2. निरीक्षण दिनांक – ....

3. इकाई का नाम एवं पता – ....

....

....

4. अस्थायी (ई.एम.पार्ट–I) / स्थायी (ई.एम.पार्ट–II) – ....

पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक ....

5. इकाई के उत्पाद का नाम – ....

एवं पंजीकृत वार्षिक क्षमता ....

....

6. उत्पादन दिनांक – ....

7. कोयले की वार्षिक आवश्यकता (मे.टन) – ....

8. सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम विकास संस्थान – ....

(एम.एस.एम.ई.डी.आई.) के क्षमता आंकलन ....

के आधार पर कोयले की वार्षिक मात्रा (मे.टन) एवं ग्रेड

9. इकाई के पक्ष में पूर्व अनुशंसा की तिथि – ....

10. भूमि स्वामित्व की है अथवा किराये / लीज की – ....

11. यदि किराये/लीज की है तो किराये नामे/लीजडीड की अवधि – दिनांक . . . . से दिनांक . . . . तक

12. विगत 3 वित्तीय वर्षो में कोल प्राप्ति एवं खपत का विवरण–

वर्ष	सीएसआईडीसी द्वारा जारी आवंटित मात्रा (मे.टन)	आवंटन के विरूद्ध प्राप्त मात्रा (मे.टन)	कोयले की श्रेणी	प्राप्त आवंटन के विरूद्ध वास्तविक खपत की मात्रा (मे.टन)

13. अनुशंसित मात्रा एवं ग्रेड – . . . .

निरीक्षण कर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक की अनुशंसा

मैं निरीक्षण कर्ता अधिकारी की अनुशंसा से सहमत हूँ । मैंने स्वयं दिनांक . . . . . को इकाई का भौतिक निरीक्षण किया है । इकाई कार्यरत है / उत्पादन में जाने को तैयार है । इकाई के पक्ष में वर्ष . . . . . . के लिए . . . . . . मे.टन. . . . . ग्रेड के कोल आवंटन की अनुशंसा की जाती है ।

मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक
के हस्ताक्षर

निरीक्षण अधिकारी व्दारा नियंत्रित / दुर्लभ कच्चे माल की उपयोगिता सत्यापन प्रतिवेदन

अवधि ....से.....................तक

निरीक्षण अधिकारी का नाम ....

निरीक्षण का दिनांक ....

1. इकाई का नाम एवं पता — ....
2. स्वामी / भागीदार / संचालक आदि का नाम — ....
3. लघु उद्योग पंजीयन / डी0जी0टी0डी0 पंजीयन
   क्रमांक व दिनांक — ....
   औद्योगिक लायसेंस क्रमांक व दिनांक — ....
4. पंजीकृत / लायसेंस आयटम का विवरण —

क्र0	नाम	उत्पादन	वार्षिक पंजीकृत क्षमता
1			
2			
3			
4			

5. कच्चेमाल की आवश्यकता (वार्षिक) —

क्र0	उत्पाद का नाम	उत्पाद की मात्रा	लगने वाले कच्चेमाल का नाम	मात्रा मे0टन / लीटर
1				
2				
3				
4				

6. स्थापित मशीनों / भट्ठों / मिलनुस / फरनेश आदि का विवरण —

क्र0	नाम मशीन	स्थापित क्षमता	उत्पाद का नाम जिसके लिए मशीन स्थापित की गई	स्थापना दिनांक	क्रय दिनांक
1					
2					
3					
4					

, स्थापित विद्युत शक्ति हार्सपावर में – ....

8. जांच अवधि में रखे गये श्रमिकों एवं उनको भुगतान की गई मजदूरी का विवरण .

क्र0		संख्या	भुगतान किया गया वेतन (वार्षिक)
1	प्रबंधकीय		
2	यांत्रिकी		
3	कुशल		
4	अर्द्धकुशल		
5	अन्य		

9. पूर्व में किये गये निरीक्षण :–

निरीक्षण अधिकारी का नाम	पद	निरीक्षण का दिनांक

10. जांच अवधि में इकाई व्दारा प्राप्त नियंत्रित/दुर्लभ कच्चेमाल का विवरण –

क्र0	आवंटन/सेल आर्डर का क्र0 व दिनांक व मात्रा	नाम कच्चामाल	प्राप्त माल की मात्रा एवं दिनांक	मूल्य (रू0)	इकाई व्दारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को दी गई सूचना का दिनांक	भौतिक सत्यापन का दिनांक
1						
2						
3						

11. जांच अवधि में अन्य स्त्रोतों से क्रय किये गये कच्चेमाल का विवरण –

क्र0	नाम कच्चामाल	मात्रा	मूल्य (रू0)
1			
2			

12. जांच अवधि में इकाई व्दारा प्राप्त नियंत्रित/दुर्लभ कच्चेमाल का विवरण –

क्र0	नाम कच्चामाल	पूर्व वर्ष का स्टाक	अवधि में प्राप्त माल की मात्रा	कुलयोग	अवधि में खपत	वर्ष के अंत में स्टाक
1						

विद्युत खपत –

माह	यूनिट	भुगतान की गयी धनराशि (रू0)
1		
2		

14. जांच अवधि में कितनी पाली में कार्य हुआ – ....

15. जांच अवधि में उत्पादन –

क्र0	उत्पादन का नाम	मात्रा	मूल्य (रू0)
1			
2.			

16. उत्पाद एवं कच्चेमाल का खपत का अनुपात – ....

17. जांच अवधि में विक्रय –

क्र0	उत्पादन का नाम	मात्रा	मूल्य (रू0)	विक्रय कर भुगतान की राशि
1				
2				

18. क्या इकाई व्दारा कच्चेमाल की प्राप्ति/खपत उपयोगिता का विवरण अंकित करने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर रजिस्टर रखे गये है – ......

19. इकाई व्दारा किये गये उत्पाद एवं विक्रय का तालमेल स्थापित मशीनरी, श्रमिक/मजदूरी/भुगतान, विद्युत खपत एवं भुगतान किये गये विक्रय कर से है अथवा नहीं कृपया विवरण दीजिए :– ....

20. क्या उत्पाद के आंकड़े एवं शेष स्टाक के आंकड़े विक्रय के आंकड़े से मिलते है–..

21. क्या नियंत्रित/दुर्लभ कच्चेमाल की प्राप्ति/खपत/स्टाक के आंकड़ों का तालमेल उत्पादन के आंकड़ों से होता है :–..

क्या निरीक्षण अधिकारी इकाई के उत्पादन प्रणाली लेखा–जोखा कच्चेमाल की खपत आदि से संतुष्ट है यदि नहीं तो कृपया उन अनियमितताओं / कमियों का उल्लेख करें, जिन नियमों / निर्देशों का उल्लघंन इकाई व्दारा किया गया है कृपया स्पष्ट टीप अंकित करें– ....

23. कोई और विवरण जो निरीक्षण अधिकारी देना चाहे :– ....
....
....
....
....

निरीक्षण कर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र..............................

मेरे कार्यालय के श्री ....प्रबंधक / सहायक प्रबंधक द्वारा उपरोक्त सत्यापन किया गया, उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर वर्ष .... का खपत..................................है, मैं उपरोक्त निरीक्षण प्रतिवेदन में दी गयी जानकारी से सहमत हूँ ।

उपरोक्त इकाई नवीन है जो उत्पादन में जाने हेतु तैयार है / दिनांक.............. ....से उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है मैं इकाई की पंजीकृत क्षमता के आधार पर लगने वाले कच्चेमाल की आवश्यकता की कुल मात्रा ....के आधार पर .... मात्रा की अनुशंसा करता हूँ ।

मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक के हस्ताक्षर

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश
(कच्चामाल कक्ष)

क्रमांक 19/क·मा·(1)/96/1144-1200 भोपाल, दिनांक: 31.7.96

प्रति,

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
- दुर्ग - - -

2/ अपर/संयुक्त उद्योग संचालक,
परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय,
- - - - - - - - - - -

4680
12-8-96

विषय :- वर्ष 1997 हेतु कोल/ कोक वेगन्स के प्रस्ताव विषयक ।

-=-

वर्ष 1997 के लिए कोल/ कोक वेगन्स के प्रस्ताव कार्यपालक निदेशक, रेल संचालन, कलकत्ता एवं वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि0, नागपुर को माह नवंबर, 1996 के द्वितीय/ अंतिम सप्ताह में इस कार्यालय द्वारा भेजे जाने है । तद्नुसार साऊथ इस्टर्न कोल फील्ड्स लि0, सीपत रोड, बिलासपुर एवं वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि0, कोल स्टेट, सिविल लाइन, नागपुर के प्रस्ताव अलग-अलग आने चाहिये । गत् दो वर्षों से देखा गया है कि बहुत सी इकाइयां जिनका कि लिंकेज साऊथ इस्टर्न कोल फील्ड्स लि0 है ऐसे इकाइयों के प्रस्ताव भी वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि0 में भेजा जाता है, उचित नहीं है । अत: जो इकाइयां वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि0 के अन्तर्गत आती है, किन्तु जिन्हें साऊथ इस्टर्न कोल फील्ड्स लि0, बिलासपुर से लिंकेज प्राप्त है, ऐसे इकाइयों के प्रस्ताव भी अलग-अलग भेजे जावे । वर्ष 1994 से कोल/ कोक हेतु रेल्वे द्वारा वेगनों की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी अतएव निम्न बिन्दुओं के संदर्भ में संलग्न प्रपत्रों में चाही गई जानकारी सहित प्रस्ताव समय-सीमा में भेजे जावे :-

RM
9/8

1- आपके जिले के अन्तर्गत आने वाले कोल/ कोक वास्तविक उपभोक्ता कार्यरत औद्योगिक इकाइयों एवं कोल डिपोज़ जो रेल परिवहन अथवा रेल/ रोड का लिंकेज प्राप्त है, से कोयला प्राप्त करने के इच्छुक हो, के लिये रेल परिवहन से कोयला प्राप्ति के ...

....2/-

अनेक्चर "ए" पर तैयार करना है । आपके जिले के प्रस्ताव प्राप्त ता तथा कोयले के प्रकारवार आपके परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय को दिनांक 30.9.96 तक निश्चित रूप से भेजने की व्यवस्था करें । परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय द्वारा संकलित प्रस्ताव मुख्यालय को प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 16.10.96 निर्धारित की जाती है । इकाइयों हेतु आवेदन-पत्र सह-निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप प्रपत्र "द" में दिया गया है ।

2- उन नवीन इकाइयों के लिये जो उत्पादन हेतु तैयार है, के प्रकरण में "उत्पादन हेतु तैयार है" (ready to go into production) आवश्यक रूप से प्रमाणित किया जावे । संचालनालय के ध्यान में ऐसे प्रकरण आए हैं, जिनमें प्रस्तावित पंजीयन के आधार पर अनुशंसा की गई किन्तु आवेदकों द्वारा कोयला प्राप्ती की सूचना जिला उद्योग केन्द्र को नहीं दी गई । आवेदन के समय आवेदकों से इस आशय की घोषणा प्राप्त कर ली जावे कि कोयला प्राप्ती की जानकारी तत्काल जिला उद्योग केन्द्र को दी जावेगी । उत्पादन में जाने हेतु तैयार इकाइयाँ उन्हें माना जावेगा, जो केवल कच्चेमाल के अभाव में उत्पादन में नहीं गई है । ऐसी इकाइयाँ जिन्होंने प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना आवश्यक पूंजी की व्यवस्था एवं भवन/शेड की व्यवस्था आदि कर ली है, को ही उत्पादन में जाने हेतु तैयार माना जावेगा । नई इकाइयों के पक्ष में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार केवल तीन माह की आवश्यक की अनुशंसा की जावेगी । इस अनुशंसा के विरुद्ध प्राप्त कोयले की उपयोगिता सही सिद्ध होने के बाद आगामी अनुशंसा की जावेगी ।

3- विभाग/ डी.जी.टी.डी. को मेमोरेण्डम प्रस्तुत करने वाली इकाइयाँ तथा इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट एवं रेग्युलेशन एक्ट, 1951 के अंतर्गत अनुज्ञा-पत्र प्राप्त इकाइयाँ, जो राज्य प्राथमिकता के अंतर्गत आती है, के पक्ष में प्रस्ताव भेजें । राज्य प्राथमिकता की सूची संदर्भ हेतु संलग्न है ।

4- प्रस्ताव पूर्ण वर्ष जनवरी, 1997 से दिसम्बर, 1997 के लिये होने चाहिये । प्रपत्र "ए" में सभी कॉलम आवश्यक रूप से भरकर परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालयों को दो प्रतियों में भेजे जावे । कोल इण्डिया लि० द्वारा

....2/-

औद्योगिक प्रयोजन हेतु कोयले की खपत के आदर्श मापदण्ड तैयार किये गये हैं, जिनका विवरण संलग्न "प्रपत्र एफ" में है । इस वर्ष भी अनुशंसा इन्हीं मापदण्डों के अनुसार होनी चाहिये । जिन उत्पादों के लिए मापदण्ड नहीं है, उनमें लघु उद्योग सेवा संस्थान एवं उच्चतम वर्ष की खपत को आधार माना जावे ।

5- जिन इकाइयों का संयुक्त निरीक्षण कोल कम्पनी के अधिकारियों/ कोल इण्डिया लि0/ साउथ इस्टर्न कोल फील्ड्स लि0/ वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि0 एवं संचालनालय द्वारा नामांकित अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा किया गया हो उन इकाइयों की क्षमता संयुक्त निरीक्षण द्वारा निर्धारित अनुसार की जावे । जिन इकाइयों का संयुक्त निरीक्षण नहीं हुआ है ऐसी इकाइयों के समक्ष कोल इण्डिया द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर आंकी गयी क्षमता अनुसार अनुशंसा की जावे । जिन इकाइयों के लिए कोल इण्डिया लि0 के मापदण्ड नहीं हैं, उनके पक्ष में लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा निर्धारित क्षमता अथवा पंजीकृत क्षमता, जो भी कम हो, के आधार पर अनुशंसा की जावे ।

6-प्रत्येक प्राथमिकता के लिये प्रस्ताव (प्रपत्र "ए") प्राथमिकतावार अलग-अलग पृष्ठ पर दो प्रतियों में परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालयों को भेजें ।

7- बी.पी. एवं बी.एच. हार्ड कोक उपभोक्ता औद्योगिक इकाइयों के लिये प्रस्ताव अलग-अलग भेजें ।

8- कोल डिपो होल्डर्स को बी.पी./ बी.एच./ ब्रीज नट/ पर्ल/ मिक्स कोक आदि प्राप्त करने की पात्रता नहीं है ।

9- नई इकाइयों के लिए संचालनालय के ज्ञाप क्रमांक 56/आरएम/ (1)/92/6067-6075, दिनांक 18/19.8.92 के अनुसार अनुशंसित किये जाना है । कार्यरत इकाइयों द्वारा गत 5 वर्षों में वर्ष 1992 से 1996 कैलेण्डर वर्ष में की गई खपत के अनुसार सर्वाधिक खपत वाले वर्ष की मात्रा होगी, किन्तु यह मात्रा वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि0, नागपुर द्वारा निर्धारित आदर्श मापदण्डों से अधिक नहीं होनी चाहिये । खपत में अन्य स्त्रोतों से प्राप्त

कोयले का भी समावेश किया जा सकेगा बशर्ते उसका सत्यापन/ अभिलेखों के ठोस आधार पर किया गया हो । बिना अधिकृत विक्रेता/ सप्लायर के केश मेमों/ बिल्स के कोई अन्य आधार प नहीं माना जावेगा । अगर स्थानीय इकाई/ कोल डिपोज से लिये गये कोल/ कोक के आंकड़े सम्मिलित किये जा रहे हैं तो वे नियमित व अधिकृत होना चाहिये । कहीं भी खपत के आंकड़ों के समावेश में डुप्लीकेशन न हो ।

10- कोयला खपत की जांच केवल वर्ष 1995 एवं वर्ष 1996 में जुलाई, 1996 तक प्राप्त कोयले की ही की जावे । सत्यापन एवं उपयोगिता की जांच की भी पुष्टि की जाए । परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालयों की जानकारी भेजते समय कैलेण्डर वर्ष 1992 से 1995 एवं वर्ष 1996 से जुलाई, 1996 तक वर्षवार खपत की जानकारी अनेक्चर "ए" में बॉक्स वेगन में भेजी जावे । § 2·5 वेगन- एक बॉक्स 58 मे·टन §

11- ईंट निर्माता इकाइयों के पक्ष में अनुशंसा की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

§1§ ईंट निर्माता इकाइयों को परिशिष्ट "द" में आवेदन प्रस्तुत करना होगा और परिशिष्ट "ई" में निरीक्षण प्रतिवेदन होगा । प्रस्तावित पंजीकृत इकाइयों के विषय में उत्पादन हेतु तैयार उस इकाई को माना जावे, जिनमें प्रस्तावित पंजीयन के समय प्रस्तुत योजना का क्रियान्वयन कर लिया हो अर्थात जिन इकाइयों के मामले में माइनिंग लीज या खनिज विभाग से अनुमति आवश्यक हो, प्राप्त कर ली गई है एवं इकाई संचालित करने के लिए संबंधित भूमि का आधिपत्य मिल गया हो। परम्परागत कुम्हार, अनु·जाति एवं अनु·जनजाति के उद्यमियों को पंचायत अथवा नगर पालिका से ईंट निर्माण हेतु सहमति प्राप्त कर ली गई हो । उत्पादन हेतु कच्चा माल, श्रमिक, जल स्त्रोत भट्टा लगाने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो गया हो । ऐसी प्रस्तावित रूप से पंजीकृत इकाइयों के उत्पादन में जाना प्रमाणित होने पर नई इकाइयों के लिए निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जावे । जहां आवश्यक है कि ऐसी इकाइयों का प्रस्तावित पंजीयन जारी करने के पूर्व उद्यमी द्वारा प्रस्तुत योजना की सम्भाव्यता

....5/-

एवं व्यवहारिकता की पुष्टि की जावे। संचालनालय के ध्यान में ऐसे प्रकरण आये हैं, जिनमें प्रस्तावित पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करते समय जो क्षमता अंकित की गई है, वह किसी भी दृष्टि से अत्याधिक है। इसके अतिरिक्त परम्परागत उद्यमियों के पूर्व में पंजीयन को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित पंजीयन आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही की जावे। पूर्व में स्थाई रूप से पंजीकृत इकाइयों को नये पंजीयन जारी कर कोयला अनुशंसित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि आवेदक अनुशंसित मात्रा का कोयला क्रय करने, उपभोग एवं भण्डारण हेतु सक्षम है।

(2) प्रस्तावित एवं स्थाई रूप से पंजीकृत इकाइयों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षरों की विभागीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पुष्टि की जाना चाहिये। यह कार्यवाही स्थल निरीक्षणकर्ता द्वारा की जावे। इकाई की ओर से होने वाले पत्राचार को मान्यता तभी दी जाना चाहिये जब वह प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो।

(3) इकाइयों की नियमित अनुशंसा कोल इण्डिया लि0 द्वारा तैयार किये गये आदर्श मापदण्डों के अनुसार हो। जहाँ आवश्यकता हुई वहाँ पृथक से कोल कम्पनी से भी क्षमता आंकलन या औचित्य की कार्यवाही करवायी जावेगी।

(4) सर्वाधिक खपत वाला वर्ष उसे माना जावे जो पिछले पांच वर्ष में निरन्तर कार्य करने वाली इकाइयों को लगने वाले कोयले एवं उसके विरूद्ध किये गये उत्पादन पर आधारित हो। जो इकाइयां कुछ अवधि बन्द रहने के बाद पुनः प्रारंभ होती है, उनके मामले में कार्यरत रहने के कम से कम 3 वर्ष की खपत के आधार पर प्रारंभ में केवल तीन माह का कोयला अनुशंसित किया जावे, जिसके प्राप्त होने एवं उपयोगिता प्रमाणित होने के पश्चात् ही आगे अनुशंसा की पात्रता रहेगी। सभी ईंट निर्माता इकाइयों के लिए यह आवश्यक होगा कि कोयला प्राप्ति की सूचना

....6/-

जिला उद्योग केन्द्र को समय-समय पर दी जावे। इस हेतु कोयला प्राप्ती के 7 दिन के अन्दर सूचना दी जाना चाहिये ताकि प्राप्त माल का भौतिक सत्यापन किया जा सके। ऐसी इकाइयां जो कि माल प्राप्ती की सूचना जिला उद्योग केन्द्र को नहीं देती है उनकी आगामी अनुशंसा तत्काल स्थगित कर दी जावे।

(5) माइनिंग लीज धारक इकाइयों के उत्पादन एवं विक्रय संबंधी आंकड़े इकाई द्वारा खनिज विभाग को प्रस्तुत जानकारी से मिलान किया जावे।

(6) इन इकाइयों की कोयला उपयोगिता बाबत जांच कम से कम 3 माह में एक बार होना चाहिये।

(7) अनुशंसा करने के पूर्व यह पुष्टि हो जानी चाहिये कि अनुशंसित मात्रा का उपयोग करने में इकाई आर्थिक एवं अन्य व्यवस्थाओं से सक्षम है।

(8) जिस अवधि में इकाई बन्द है उस अवधि की अनुशंसा निरस्त रहनी चाहिये।

12- कार्यरत (मान्यता प्राप्त) कोल डिपो होल्डर के पक्ष में उनके द्वारा गत पांच वर्षों में वर्ष 1992 से 1996 एवं जुलाई, 1996 तक जिस वर्ष में सर्वाधिक विक्रय किया गया हो, वह मात्रा वर्ष 1997 के लिये अनुशंसा का आधार होगी। नये कोल डिपो के लिये अनुशंसा का आधार क्षमता आंकलन/ विक्रय के अभाव में स्टीम कोल एवं साफ्ट कोक के लिये वर्ष में 5-5 बॉक्स वैगन रहेगा। यदि मांग इससे कम हो तो मांग अनुसार अनुशंसा करेंगे।

13- जहां किसी इकाई द्वारा चूना भट्टे लीज पर लिये अथवा दिये गये हो वहां निरीक्षणकर्ता/ महाप्रबंधक द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि भट्टे लीज पर दिये अथवा लिये गये है। भट्टे लीज पर देने वाली इकाई को नवीन इकाई न मानकर पूर्व इकाई जिससे भट्टे लीज पर दिये गये हों, के आवंटन में समानुपातिक कमी की जाकर शेष मात्रा लीज पर लेने वाली इकाई के पक्ष में अनुशंसा की जावे। ऐसी प्रकरणों में लीजडीड

..//-

आदि देख ली जावे व प्रस्तावों में लीज पर लेने की तिथि दर्शायी जावे। वहां भी खपत के आंकड़ों में डुप्लीकेशन न हो जावे, की पुष्टि की जावे। संचालनालय के ज्ञाप क्रमांक 84/क·मा·§12§/91/7166-7213, दिनांक 13·10·92 द्वारा चूना भट्टों के समक्ष पहचान चिन्ह लगाए जाने के निर्देश दिए गए है। निरीक्षण के दौरान यह सत्यापित कर लिये गये कि इकाई द्वारा यह व्यवस्था की गई है अथवा नहीं। ऐसी व्यवस्था के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं हो सकता कि भट्टे किसके आधिपत्य में है? अतएव अनुशंसा करने के पूर्व पहचान चिन्हों की पुष्टि कराई जाना नितान्त आवश्यक है।

14- कार्यरत एवं उत्पादन हेतु पूर्णत: सुसज्जित § ready to go into production § भट्टों के आधार पर ही प्रस्ताव तैयार किये जावे। प्रस्ताव तैयार करते समय यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि गत वर्ष जितने भी भट्टों के आधार पर अनुशंसा की गई थी कि सभी भाट्टे चलते रहे हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि कुछ ऐसे भट्टे भी हो सकते है जो वर्षा के समय बन्द हो जाते है तथा वर्षा के बाद दीपावली सीजन के समय चालू हो जाते है। चूंकि यह प्रस्ताव व अनुशंसायें इसी दौरान बनाये जाते है और संभवत: इसी श्रेणी के भट्टों को भी कार्यरत भट्टों की श्रेणी में रखा जाकर प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाता है। यदि ऐसे भट्टों को प्रस्तावों में सम्मिलित किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जावे कि यह भट्टे दीपावली सीजन में चालू हो चुके है। यदि इनमें से कोई ऐसा भट्टा है जिसको प्रस्तावों में सम्मिलित किया गया है लेकिन उपरोक्तानुसार चालू नहीं हुआ है, ऐसे भट्टों की जानकारी दिनांक 31·10·96 तक निश्चित रूप सेसंचालनालय को भिजवाई जावे, अन्यथा उक्त श्रेणी के भट्टों को कार्यरत/ चालू हो चुके है, मानकर अनुशंसा कर दी जायेगी और उसका उत्तरदायित्व व्यक्तिगत रूप से निरीक्षणकर्ता अधिकारी एवं महाप्रबंधक का होगा। वैसे ऐसे भट्टे वर्षा के पूर्व तक चले है और सिर्फ वर्षा के कारण ही बन्द है, को ही प्रस्तावों में सम्मिलित किया जाये अन्य को नहीं। रिमार्क कॉलम में ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया जावे, जिन भट्टों को चालू न होने/ रहने की संभावना न हो उनकी अनुशंसायें न की जावे।

15- जिलेवार एवं कोयले के प्रकारवार संकलित जानकारी संलग्न "ब" पर भेजें ।

16- अनुशंसा पूर्ण वर्ष को होगी, जिसे भेजने के पूर्व आप स्वयं संतुष्टि कर लें कि भेजी जाने वाली अनुशंसायें नियमानुसार व परिपत्र के निर्देशों के अनुसार है । संचालनालय को जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा सीधे भेजे गए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

17- अनुशंसा भेजने के पूर्व इकाइयों/ कोल डिपो का स्थल निरीक्षण अनिवार्यतः करवाकर संतुष्टि कर ली जावे कि उद्योग/ कोल डिपो चालू है । प्रत्येक प्रकरण में निरीक्षण प्रतिवेदन को एक प्रति परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय को भेजी जावे । इन प्रस्तावों व निरीक्षण प्रतिवेदनों का परीक्षण संकलन परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय स्तर पर किया जावे । निरीक्षण प्रतिवेदन को प्रति आवश्यकता होने पर संचालनालय द्वारा मंगाई जा सकती है । इसे मुख्यालय न भेजा जावे ।

18- इकाइयों/डिपो होल्डरों को यह स्पष्ट समझाइश दी जावे कि वेगनों की सिफारिश कोयले के आवंटन की गारंटी नहीं है । कोयला प्राप्त करने हेतु उन्हें कोल इण्डिया लि0 से नियमानुसार लिंकेज प्राप्त करना आवश्यक है । अतः उन्हीं इकाइयों के पक्ष में अनुशंसा की जाये जिन इकाइयों के पास कोल इण्डिया लि0 से लिंकेज प्राप्त है । जिन इकाइयों के पास लिंकेज नहीं है, ऐसी इकाइयों के पक्ष में लिंकेज प्राप्त करने के बाद ही अनुशंसा की जावे ।

19- यदि आपके द्वारा भेजी गई अनुशंसा निर्धारित आधार पर नहीं है तो उसके तत्सम्बन्ध कारण स्पष्ट लिखा जावे । "नई इकाई मानकर अनुशंसा की गई है ।" यह तर्क मान्य नहीं किया जावेगा ।

20- जिन इकाइयों को अनुशंसा दूसरी बार की जा रही है उसकी अनुशंसा इसी स्थिति में करें, जब कि इकाई का स्थाई पंजीयन, क्षमता आंकलन हो चुका है और इकाई के कोयले की उपयोगिता सही पाई गई है ।

21- प्रपत्र "अ" कोयले की वार्षिक आवश्यकता दर्शाने वाला कॉलम 7 में जिन इकाइयों का क्षमता आंकलन लघु उद्योग सेवा संस्थान

....9/-

द्वारा करा लिया गया है उनको अंकित क्षमता 7 "बी" में दर्शाई जावे तथा इकाइयों का क्षमता आंकलन लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा कराया जाना शेष हो उनको आवश्यकता पंजीकृत क्षमता के आधार पर कॉलम 6 "ए" में दर्शाई जावे । इकाई को दो तरह की आवश्यकता पत्र में न दर्शायी जावे । दो अथवा तीन-तीन पालो में चलने वाली इकाइयों का उल्लेख उनके नाम के सामने किया जावे ।

22- जो इकाइयाँ/डिपो होल्डर नेरो गेज रेल्वे लाइन परासिया, छिन्दवाड़ा, नागपुर, नैनपुर, हाऊबाग-जबलपुर क्षेत्र के निकटस्थ है, उनके पक्ष में अनुशंसा नेरोगेज से कर सकते है इसका उल्लेख प्रपत्र "ख" के डेस्टीनेशन के कॉलम एवं परिचय-पत्र में भी किया जावे ।

23- जिले में कार्यरत तथा प्रस्तावित मिनी सीमेंट प्लांट के प्रस्ताव (एम·सी·पी·) प्राथमिकता के अंतर्गत स्लेक/ब्रीझ कोल (कोक फ्रेक्शन) के लिये अलग-अलग भेजें जावे ।

24- वेगनों से संबंधित दी जाने वाली सभी जानकारी बॉक्स वेगन में दी जावे । पुरानी 2·5 वेगन अथवा 58 मे·टन से एक बॉ·वे· बनती है । अतएव जानकारी देते समय विशेष रूप से ध्यान रखा जावे ।

25- इकाइयों के पक्ष में की गई अनुशंसा में कोल/ कोक के ग्रेड को स्पष्ट सावधानीपूर्वक लिखा जावे । ग्रेड "ए" का कोल लिंकेज कोल इण्डिया की टेक्नीकल कमेटी की विशेष अनुशंसा के बाद ही प्राप्त हो सकेगा । इकाइयों को प्राप्त लिंकेज से उक्त ग्रेड का सत्यापन कर लिया जावे । ग्रेड को मान्यता लिंकेज अनुसार होगी ।

26- संचालनालय में ऐसी शिकायतें प्राप्त होती है कि आवंटन करते समय कोयले की वास्तविक खपत का उत्पादन से तालमेल नहीं देखा जाता है । प्रस्ताव भेजते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि इकाई द्वारा की गई कोयले की खपत तथा उत्पादन में तालमेल है अथवा नहीं । निरीक्षणकर्ता/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन के बिन्दु क्र० 18 का विशेष रूप से परीक्षण किया जावे ।

...10/-

प्राप्त अनुशंसाओं में यह माना जावेगा कि इन्होंने इसका एवं परिपत्र में उल्लेखित सभी बिन्दुओं का परीक्षण किया एवं तद्नुसार ही अनुशंसाएँ की गयी है ।

27- वर्ष में प्राप्त कोयले को मात्रा का भौतिक सत्यापन हो रहा है इस आशय का प्रमाणीकरण निरीक्षणकर्ता एवं अनुशंसाकर्ता करें । जहां ऐसा नहीं हुआ है उसका कारण दर्शाया जावे । बिना भौतिक सत्यापन के कोयले की आवक प्रमाणित नहीं मानी जाना चाहिये ।

28- वर्ष 1996 के लिये भेजे गए प्रस्तावों में इकाइयों के नामों में त्रुटियां पाई गई जिसके कारण संशोधन पत्र भी जारी करने पड़े है । इन त्रुटियों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये । इसके लिये प्रस्ताव भेजते समय इकाइयों के नामों का सूक्ष्म परीक्षण कर हिन्दी और अंग्रेजी में प्रपत्र दर्शाया जाना चाहिये ।

29- निरीक्षण प्रतिवेदन अपर/संयुक्त उद्योग संचालकों द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित होने चाहिये एवं संचालनालय को स्पष्ट अनुशंसा भेजी जाना चाहिये । निरीक्षण प्रतिवेदन संचालनालय को नहीं भेजे जाने है ।

30- इकाइयों से संलग्न प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर निरीक्षण करवाया जावे ।

31- इकाइयों को जिस कोल कम्पनी से कोयला प्राप्त करने हेतु लिंकेज किया गया है उसी कम्पनी के पक्ष में अनुशंसा की जाना चाहिए ।। वर्ष 1996 में ऐसे कई प्रकरण ध्यान में आये हैं जिनमें इस बिन्दु से हट कर कार्यवाही की गई है ।

32- यह भी ध्यान में आया है कि कई जिला उद्योग केन्द्र इकाई को लिंकेज में रेल/सड़क (रोड) होने के बावजूद भी उनके स्तर से सीधी रोड परिवहन से अनुशंसा की जाती है जो उचित नहीं है । अत: जिन इकाइयों के लिंकेज में रेल/ रोड अंकित है ऐसी इकाइयों के पक्ष में अनुशंसा संचालनालय स्तर से ही की जावेगी ।

33- मध्यप्रदेश स्थित विशेष धुआं रहित इकाइयों के पक्ष में कोल की अनुशंसा अगले वर्ष (1997 के लिए) की जाना है । अत: ऐसी जिन इकाइयों ने

कोल इण्डिया के पार्टी माइन्स प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टोट्यूट लि0, राँची (बिहार) द्वारा गठित कमेटी द्वारा क्षमता आंकलन किया है । ऐसे इकाइयों के प्रस्ताव भी संचालनालय को अलग से भेजें ।

2/ अन्त में पुन: स्पष्ट किया जाता है कि वांछित प्रस्ताव निर्धारित अवधि में मुख्यालय को पहुँचाने का उत्तरदायित्व संबंधित उद्योग संयुक्त संचालक, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय का होगा । यदि वांछित जानकारी समय-सीमा में परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय को नहीं पहुँचती है तो उसका उत्तरदायित्व संबंधित महाप्रबंधक का होगा । विलम्ब से भेजे जाने वाले प्रस्तावों के साथ विलम्ब का वास्तविक कारण और उसका उत्तरदायित्व निर्धारित कर संचालनालय को प्रस्ताव भेजा जावे । विलम्ब से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव उद्योग आयुक्त की अनुमति से ही सम्मिलित किए जावेंगे । यह भी संभव है कि इकाइयों द्वारा वांछित जानकारी समय पर नहीं देने के कारण आपके स्तर से प्रस्ताव भेजने में विलम्ब होता हो । ऐसी इकाइयों की अनुशंसा पर समयावधि के बाद में विचार नहीं किया जावेगा । प्राय: यह देखने में भी आया है कि परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय में एकजाई प्रस्ताव नहीं भेजे जाते हुए किश्तों में भेजे जाते है । जिससे कि कई इकाइयों की अनुशंसा इस कार्यालय से नहीं भेजी जाती है । परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय को चाहिये कि प्रस्ताव संकलित रूप से भेजें ।

संलग्न :- 1· प्रपत्र "ए"

2· राज्य प्राथमिकता की सूची 4 प्रपत्र "ब"

3· कोल/कोक अनुशंसा हेतु निर्धारित मापदण्ड एक

4· आवेदन पत्र सह-निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप

5· ईंट निर्माता इकाइयों के लिए निरीक्षण प्रतिवेदन

6· प्रपत्र "स"

(हस्ताक्षर) 31.7.96

उद्योग संयुक्त संचालक,
कृते उद्योग आयुक्त·

WESTERN COALFIELDS LIMITED

Coal Estate, Civil Line
Nagpur.

WCL:S&M:RS: 697

Date : 18th July, 96

Shri S.K. Dubey
Director (SSI)
Directorate of Industries,
(R.M. Section)
Vindhyachal Building,
BHOPAL MADHYA PRADESH

Sub : Supply of Coal to Coal Depots.

Kindly refer to your letter No. 12/RM4(1)/96/981 dated 13/6/96 regarding supply of Coal to sponsored Coal depots in Madhya Pradesh.

In this connection I would like to bring to your notice that as per the provisions of the Colliery Control Order, Coal can be released only to actual users and not to traders. [illegible] Coal releases to sponsored Coal depots are being made on the recommendations of the sponsoring authorities / furnished. It is pertinent to note that any S.S.I. unit taking Coal from these depots may have to surrender its quota against its requirement and the details of the same may be furnished. However, on the basis of the recommendations of the sponsoring authorities, it has been decided by WCL management that the Coal depots will be issued only 22 tonnes of Coal to avoid any misuse of Coal and the actual consumers would not be deprived of their requirement of Coal.

[Margin note: / But the details of the coal consumption are not been]

In view of the above, it may please be appreciated that WCL is not in a position to release full quantity of Coal to Coal depots so as to ensure that Coal requirememt of actual industrial consumers is not affected. However, in case these depot holders are in need of more Coal, they may apply to those Collieries which are under L.S.S./O.S.S. Scheme in other subsidiary Companies of Coal India Limited.

The position may kindly be apprised to Coke & Coal Dealers Association, Bhopal from your end.

Yours faithfully,
Sd/-General Mamager(S&M)

[illegible]

28

DIRECTORATE OF INDUSTRIES:M.P.
(R.M. SECTION)

No. 12/RM/(1)/96/1202-1258 Bhopal, Dated : 1.8.96

Copy forwarded to :-

1. The Addl./Joint Director of Industries, Zonal Industries Office,....................

2. The General Manager, District Industries Office, ...Durg... for information. The copy of Liberalised Sales Scheme (Revised) is also enclosed for information issued by Coal India Ltd., Marketing Division.

3. The President, Coal & Coke Dealers Association, Safia College, Road, Peergate, Bhopal for information and necessary action.

S.V. Pendharkar

(SATISH PENDHARKAR)
Asstt.Director of Industries,
for Industries Commissioner, M.P.

RM
9/8

4681
12-8-96

ANNEXURE 'B'

LIST OF PRIORITY CLASSES

Name of priority classifications which are sponsored by the State Govts.(include consuming units under Central Govt.under these priority classifications)

E) Inland Transport	1.	PTR Port & Dock Rlys
	2.	ESS Steamer Services
	3.	DUMPT CIL Dump
F) Public Utilities Mini Cement Plant	4.	GAS Gas Works
	5.	WW Water Works
	6.	MCP Mini Cement Plant
G) Heavy Industries	7.	CPR Copper Works
	8.	ALU Aluminium Works
H) Plantations	9.	CCF Coffee Plantations
	10.	ENS Engineering & Foundaries
	11.	SSI Small Scale Industries
J) Ores & Quarries	12.	MCA Mica Works
	13.	LMS Lime Works
	14.	OS Other Stone Works
K) Chemical Industries	15.	LMM All Chemical Industries (Other tha n Heavy Chem)
	16.	DST Distilleries & Power Alcohol Plants
	17.	GLS Glass Works
	18.	POT Pottery
	19.	RUB Rubber Works
	20.	ENM Enamel Works
	21.	LTS Leather Works
	22.	SOP Soap Factories
	23.	MAT Match Factories
L) Fibre	24.	WOL Woolen Mills
	25.	SLK Silk Mills

....2/-

M) Civilian requirements	26.	HOS Hospitals
	27.	JAL Jails
	28.	EDU Educational Institutions
	29.	ICE Ice Factories
	30.	MPL Municipalities
	31.	Z Domestic Soft Coke
N) Food Processing Ind.	32.	FOD Food Processing Factories
	33.	OLE Edible Oil Mills
	34.	DAR Dairies
	35.	TORM Tobacco Manufacturing
	36.	TOBC Tobacco Curing
O) Tiles & Roads	37.	BRK Brick Works
	38.	RC Road Constructions
	39.	TS Tiles
P) Miscellaneous	40.	MIS Not covered under any other classes
Q) Hard Coke incl. coke fractions	41.	CHS Sponsored by State Authority

NOTE :- This list only indicated abbreviations for different priority.

This list does not purpose to show inter seniority or preference of industries, nor does it purport to show seniority/preferential allotment between centrally controlled, state controlled or other traffic.

RG.30.7.95

E. REFRACTORIES & POTTERY INDUSTRY

	Tons of Coal per tone of production
1. Silica bricks	1.50
2. Bauxite based bricks and high alluminium bricks	0.95
3. Low Aluminium fire bricks	0.55
4. Bauxite Clacination	1.05
5. Kyanite clacination	0.75
6. Fire clay clacination	0.45
7. H.T. Insulators	2.98
8. L.T. insulators	2.40
9. Crockery	2.35

F. CHEMICAL & LIME INDUSTRIES

1. Calcium silicate/Aluminium Silicate	1.75
2. Sodium silicate	0.65
3. Sodium sulfide	5.00
4. Lime (Shift kiln)	0.50

G. BRICKS & TILES

	Tones of coal per lakh units of production
1. Conventional kiln	26
2. Continuous kiln	18
3. Country tiles in intermintant kiln	26
4. Country tiles in continuous kiln	16

H. MINI CEMENT PLANTS

	Tones of coal per tone of clinker
1. Semi-dry notary	0.25
2. Dry notary	0.22

NOTE : Production and Sales figures should be verified with the records related to Sales Tax, Central Excise and or Mining Authorities.

.....

G.30.7.96.

No. 23011/4/2007-CPD
Government of India
Ministry of Coal
*****

New Delhi, the 18th October, 2007

OFFICE MEMORANDUM

Subject: New Coal Distribution Policy

**

In supersession of existing coal distribution policy for core and non-core sector and other instructions issued in this regard from time to time, the Government is pleased to approve the New Coal Distribution Policy. The new policy is as follows:

1. **Classification of Consumers :**

The existing classification of consumers into Core & Non-core has been reviewed and it has now been decided to dispense with the same. Instead, each sector/consumers would be treated on merit keeping in view, inter-alia, the regulatory provisions applicable thereto and other relevant factors.

2. **Distribution and Pricing of coal to different consumers/sector(s):-**

2.1 Requirements of defence sector and Railways will be met in full at notified price, as at present.

2.2 **Power Utilities including Independent Power Producers (IPPs)/ Captive Power Plants (CPPs) and Fertilizer Sector**

100% of the quantity as per the normative requirement of the consumers would be considered for supply of coal, through Fuel Supply Agreement (FSA) by Coal India Limited (CIL) at fixed prices to be declared/notified by CIL. The units/power plants, which are yet to be commissioned but whose coal requirements has already been assessed and accepted by Ministry of Coal and linkage/ Letter of Assurance (LOA) approved as well as future commitments would also be covered accordingly.

2.3 **Other consumers**

75% of the quantity as per the normative requirement of the consumers/actual users would be considered for supply of coal through FSA by CIL at notified prices to be fixed and declared by CIL. The balance 25 % of

..2/-

coal requirement of the units will be sourced by them through e-auction / import of coal etc., as per their preference. The units which are yet to be commissioned but whose coal requirement has already been assessed and accepted by Ministry of Coal and linkage/LOA approved as well as future commitment finally made would also be covered accordingly.

All the existing linkage holders of erstwhile core and non core sector and not having FSAs would be required to enter into FSA with coal companies. At present small and tiny consumers in non core sector, whose annual consumption is less than 500 metric tonnes are eligible to get coal through State nominated agencies/NCCF etc. The scope of coverage through State nominated agencies is now being increased upto 4200 tonnes per annum. It means that now the distribution of coal to units whose requirement is upto 4200 tonnes per annum will be done through the agencies nominated by State Government. Units whose requirement is more than 4200 tonnes per annum will take coal directly from Coal India Limited/Subsidiary companies through FSAs. As far as the linked consumers of erstwhile non core sector, whose annual requirement is less than 4200 tonnes are concerned, they would be given the option to either entering into FSA with the coal company as per the terms and conditions, including satisfaction level applicable to the other consumers or they may opt out of FSA regime and access their coal requirement through agencies nominated by State Governments.

2.4 Coking Coal to Integrated Steel plants:

Supply of coal to Steel plants would be based on Fuel Supply Agreements (FSAs). The price of coal would be on the basis of import parity pricing with suitable adjustment for quality. This system is already in vogue.

3. **Consumers in small & medium sector**

3.1 The State Governments are requested to work out genuine requirement of such units in small and medium sector like Smokeless fuel, brick kiln, coke oven units etc. on a transparent and scientific basis and distribute coal to them accordingly. The State Governments may take appropriate steps to evaluate the genuine consumption and monitor use of coal. The present cap is also enhanced to 4200 tonnes per annum for the targeted consumers under this category. In order to meet the enhanced cap fixed for such consumers, the quantity earmarked for distribution to these agencies would also be increased to 8 million tonnes annually, to start with. This quantity would be allocated for distribution to those units/consumers in small and medium sector across the country whose requirement is less than 4200 tonnes per annum and are otherwise not having any access to purchase coal or conclude Fuel Supply Agreement (FSA) for coal supply with coal companies.

..3/-

The earmarked quantity would be distributed through agencies notified by the State Governments. These agencies could be State Govt. Agencies / .. Agencies (National Co-operative Consumer Federation[NCCF]/ Nat Small Industries Corporation[NSIC] etc) or industries associations, as the State Govt. may deem appropriate. The agency so notified will continue to distribute coal until the State Govt. chooses to denotify it.

The agency /association so notified by the State Govts., would be required to enter into FSA with coal company to be designated by the Coal India limited. The FSA will continue to remain in force till either the State Govt. denotifies the agency/association or CIL shifts the obligation to some other coal company due to production , transportation logistics etc,. In the latter case, a fresh FSA would be signed with the new coal company. The FSA would be based on firm commitment and compensation for default in performance on either side. These State Government/Central Govt. agencies would be free to devise their own distribution mechanism. However, the said mechanism should inspire public confidence and should result in distribution of coal in a transparent manner.

The price charged to such agencies would be same notified price as applicable to other consumers entering into FSA. The agency would be entitled to charge actual freight and upto 5% margin as service charge, over and above the basic price charged by the coal company, from their consumers. The concerned State Governments and Central Govt. Deptt. having administrative control over the agencies would be responsible to ensure that coal allotted for targeted consumer is distributed in a fair and transparent manner and appropriate action taken to prevent its misuse.

3.2 The quantity to be allocated to this sector may be reviewed on the basis of their performance in the beginning of every year. Allocation of this quantity amongst the states would be done on the basis of their consumption pattern in the past.

4. Replacement of Linkage System by Fuel Supply Agreement (FSAs)

The linkage system will be replaced with a more transparent bilateral commercial arrangement of enforceable FSAs. All the existing valid linked consumers whose linkage/MPQ during the year 2006-07 was 4200 tonnes or more would have to enter into FSAs with coal companies not later than six months from a date to be notified by CIL. The other valid linked consumers will have the option to opt out of FSA regime or enter into FSA within six months. On opting out, they may access their coal requirement through various channels like e-auction, distribution network of State nominated agencies etc. Failure to enter into FSA will result in discontinuation of supplies at fixed prices. All existing

..4/-

G. Srinivasan

FSAs, as prevailing on the date of introduction of this policy, will continue. However, they would need to be modified in view of the new provisions.

5. Policy for New Consumers

5.1 The Letter of Assurance (LoA) to be issued now pursuant to the new policy will have a validity of 24 months for consumers/applicants of Power Utilities, CPPs & IPPs and 12 months for other consumers instead of 30 months as earlier. The allottee of LoA would be required to fulfill certain stipulated conditions and meet the milestones within this period and there upon approach coal companies for entering into FSA. Such FSA would be completed within three months. Further, with a view to ensure that only serious and committed consumers approach for LoA, they would be required to furnish an "Earnest Money Deposit" (EMD). EMD can be in the form of Bank Guarantee and would stand discharged once FSA is concluded within the stipulated period. However, on failure, the EMD will be forfeited. The amount of EMD could be initially kept at 5% of the value of Annual coal requirement. However, CIL may decide a different level, based on various relevant facts, with the approval of Board of Directors of Coal India Limited.

5.2 For new commitments including short-term tapering commitment to consumers having captive coal block, Power Utilities, CPPs, IPPs, Fertilizer units, and others would be issued an enforceable Letter of Assurance for supply of coal and thereafter they would be entitled to enter into FSA within a stipulated time subject to fulfillment of certain conditions to be stipulated therein. For Power Utilities including Independent Power Producers (IPPs) and Captive Power Plants (CPPs), cement sector and sponge iron sector, the present system of linkage committee at the level of Government would continue. CIL will issue LoA after approval of applications by the Standing Linkage Committee (Long-term). However, for other sectors the task of issuing letter of assurance, will be the responsibility of CIL.

In order to meet the domestic requirement of coal, CIL may have to import coal as may be required from time to time, if feasible. CIL may adjust its overall price accordingly. Thus, it will be the responsibility of CIL/Coal companies to meet full requirement of coal under FSAs even by resorting to imports, if necessary.

6. Letter of Assurance for New Consumers

6.1 New consumers from State/Central power utilities, CPPs, Independent Power Producers (IPPs), Fertilizer, Cement and Sponge Iron units may be issued LOA, based on prevailing norms and recommendation of Administrative Ministry, which may inter alia have regard to LoA/Linkage already granted

..5/-

to the consumer of specific sector, existing capacity, requirement for capacity addition during a plan period etc.

6.2 All other consumers may be issued LOA by CIL, based on the prevailing norms and on the recommendation of the administrative ministry. CIL may also engage an independent Govt. or recognized agency/ institution, if required, for the purpose of processing/certification of coal requirement of individual consumers, if there is no prevailing norm for such category of consumers/sector.

6.3 LOA will be issued by the CIL to the applicant consumers consequent upon payment of EMD to the coal company. The amount of EMD could be initially kept at 5% of the value of annual coal requirement. However, CIL may decide a different level, based on the various facts, with the approval of Board of Directors of Coal India Limited.

6.4 LOA will be valid for a period of 12/24 months as applicable, during which the applicant consumer will be required to achieve the milestones pertaining to his projects/ plant as stipulated in the LOA, failing which LOA will stand terminated automatically and the EMD would be forfeited.

7. FSAs with New Consumers

7.1 On successfully achieving the milestones stipulated in LOA coal companies would execute FSA with the applicant consumer covering commercial arrangement for supply of coal. FSAs would be, inter-alia, based on ' Take or Pay ' principle.

7.2 The FSAs would cover 100% of normative coal requirements of the Power Utilities, including Independent Power Producers (IPPs) and Captive Power Plants (CPPs), Fertilizer units and 75% of normative coal requirement of other consumers.

7.3 As and when Fuel Supply Agreements come into existence, both parties viz. coal companies and consumers would endeavour to enter into Fuel Supply and Transport Agreement (FSTA) which would be a tripartite agreement involving the coal supplier, the coal consumer and the logistic provider i.e. railways. The FSTA may firstly be made applicable to major consumers like power, cement and steel sector and could be extended to other consumers in a phased manner.

8. Role of Standing Linkage Committee

The existing SLC (LT) will continue to recommend issuing of LoA in respect of Power Utilities including CPPs & IPPs, Cement and Sponge Iron

37

cluding steel, as is being done at present. It may also perform other functions as per its terms of reference for coal sector as a whole. The issuance of LoA to consumers of other sectors will be directly dealt with by CIL on the basis of recommendation of nodal Ministry.

9. Discipline and economy in coal use

Coal is no longer an essential commodity but it is still considered a scarce fuel and hence it must be used efficiently and economically. The consumers getting coal through FSA would be expected to use it efficiently so as not to waste this scarce resource and hence norms and efficiency compliance should be carried out diligently by the concerned designated authority/agencies. This would also require that coal supplied should not be misused or diverted by FSA holder to others. The existing norms, wherever being made applicable for deciding linkage quantity etc., would be reviewed in consultation with the nodal Ministry concerned, and revised norms would be made applicable for working out the satisfaction level, wherever applicable.

10. E-auction of Coal

Coal distribution through e-auction was introduced with a view to provide access to coal for such consumers who are not able to source coal through the available institutional mechanisms for reasons like the seasonality of coal requirement, limited requirement of coal not warranting long-term linkage etc. In the long run, it is expected that e-auction may help in creating spot as well as future market of coal in the country.

Thus, a fresh scheme of E-auction will be introduced subject to, inter-alia, following conditions:-

(i) Any buyer will be entitled to buy coal under e-auction

(ii) There shall not be any "Floor Price" in e-auction. However, coal companies may be allowed to fix an undisclosed Reserve Price not below the notified price.

(iii) Programme of e-auction should be announced well in advance and be given wide publicity to all consumers who intend to participate.

(iv) At the beginning of the financial year, CIL shall declare a programme on sale of coal through e-auction indicating the quantity and quality of coal to be made available through auction during all the four quarters from different coal companies/coalfields.

G. Srinivasan ..7/-

In order to address the concerns of such industrial consumers who ... have an assured supply over a long period, say one year, under e- ... as to plan their annual production etc., CIL will earmark a fixed quantity which will be provided to highest bidder/bidders as per bidder's requirement over the period of the bid.

Based upon above guidelines and modalities, a revised e auction scheme would be introduced by CIL within one month. Around 10% of estimated annual production of CIL would initially be offered under e-auction and the quantity to be offered under e-auction would be reviewed from time to time by Ministry of Coal.

11. Transitional provisions and implementation schedule

The new distribution policy envisages implementation of revised distribution policy in which there will be departure from the existing policy of distribution based on inter-alia norms, FSAs, price, distribution mechanism, administrative allocation etc. As these modalities will have to be tailor made accordingly to the new distribution policy, transitional provisions have been made for implementing new coal distribution policy and to avoid any disruption in coal distribution to various categories of consumers, as under:

Para Number	Implementation schedule	Transitional provisions
Para 2	Upto Six months	Distribution as per existing FSA/SLC(ST). For non core linked consumers the present system of offer by CIL.
Para 3	Upto Six months	The existing system of allocation of coal to State nominated agencies and NCCF to continue. However, recommendations regarding enhancement of cap to 4200 tonnes per annum will be given immediate effect.
Para 4	Six months	Allocation in terms of existing FSA/SLC(ST). For non core linked consumers the present system of offer by CIL.

Para 5 & 6	a) Two months	For power utilities/IPPs LoA to be recommended by SLC(LT) subject to deposit of applicable EMD and modified LoA containing stipulated terms and conditions. For other categories similar interim/conditional LoA can be issued by CIL, if required.
	b) One Year (For meeting the requirement of FSA commitment through import, if required.)	Existing system of meeting the FSA quantity would continue.
Para 7.1	Two months	
Paras 10	One month	E-booking to be extended in the interim.

(v) wish ... auction

Verification of erstwhile non core sector consumers

CIL would undertake verification of such consumers of erstwhile non-core sector consumers, in a time bound manner, either directly or through an agency, so as to check the veracity of their claim of being bonafide consumers of coal and thereafter act accordingly. This exercise should be carried out keeping in view the observations and directions of Hon'ble Supreme Court in the case of M/s. Ashoka Smokeless Coal India Limited and Ors. In respect of those consumers who are not found to be bonafide, Coal companies can cancel their allocation.

The above policy guidelines will also be applicable to distribution of coal from Singareni Collieries Company Limited (SCCL).

CIL/SCCL/Coal Companies are advised to take further appropriate action for implementation of this policy in respect of provisions relevant to them.

G. Srinivasan

(G.Srinivasan)
Under Secretary to the Government of India
Tele. No. 2338 4285

To

1. Shri Ashok Khurana, Addl. Secy., Ministry of Power, Shram Shakti Bhawan, New Delhi.

..9/-

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 629] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2009/कार्तिक 13, 1931
No. 629] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2009/KARTIKA 13, 1931

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2009

सा.का.नि. 793(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 29 की उप-धारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (सूचना का दिया जाना) नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) अभिप्रेत है;

(ख) "सूचना" से नियम 3 में यथाविनिर्दिष्ट कोई सूचना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ठोस प्रति या सापट प्रति में कोई दस्तावेज है;

(ग) "अधिकारी" से अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्द और पद जो परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं के वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

3. सूचना.—अधिकारी अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति से आदेश द्वारा निम्नलिखित सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण में लगे उद्यमों की दशा में संयंत्र और मशीनरी में विनिधान; या

(ख) अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट सेवाएं देने में लगे उद्यमों की दशा में उपस्कर में विनिधान ।

4. अधिकारी को सूचना देना.—(1) सूचना इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में अधिकारी को दी जाएगी और यथास्थिति डाक या व्यक्तिगत रूप से भेजी जाएगी ।

(2) सूचना के प्राप्त होने पर इसे सम्यक् रूप से रजिस्टर किया जाएगा और एक क्रम संख्या दी जाएगी ।

(3) प्रस्तुतीकरण के ब्यौरे और सूचना की प्राप्ति अधिकारी द्वारा बनाए रखे गए रजिस्टर में सम्यक् रूप से प्रविष्ट की जाएगी ।

[फा. सं. 2(3)(1)/2007-एसएमई पोल. पीटी.]

माधव लाल, अपर सचिव और विकास आयुक्त

प्ररूप

(नियम 4 देखिए)

संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान के मूल्यांकन के लिए दी जाने वाली सूचना का प्ररूप

1. आदेश की तारीख और संख्या जिसके अधीन सूचना मांगी गई है :

2. उद्यम का नाम :

3. उद्यमी की ज्ञापन संख्या और तारीख :

4. उद्यम का पता :

5. मुख्य कार्यपालक या निदेशक या प्रबंधक या मालिक का नाम :

6. कम्पनी/सीमित दायित्व भागीदारी फर्म के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :

7. मांगी गई सूचना के ब्यौरे :

क्रम संख्या	लगाए गए संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर की स्थिति	लगाए जाने का मास और वर्ष	मद-वार क्रय मूल्य	परिभाषा प्रयोजनों के लिए संगणना से अपवर्जित मशीनरी या उपस्कर	कोई अन्य सूचना	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

8. कोई अन्य सुसंगत सूचना, यदि कोई हो :

9. संलग्नकों की सूची :

(1) पैरा 7 के स्तंभ (4) में वर्णित मशीन या उपस्कर के मूल्य के सबूत के रूप में बिल या बीजक या नकद प्राप्ति (स्व-प्रमाणित) संलग्न है ।

(2) पैरा 7 के स्तंभ (5) के समर्थन में दस्तावेज

घोषणा

मैं ....(स्पष्ट मोटे अक्षरों में) पुत्र/पुत्री/पत्नी ....श्री...यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि पैरा 1 से 9 तक की सूचना और विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही हैं और मैंने इसमें संबंधित कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छिपाए हैं ।

स्थान :

तारीख :

मुख्य कार्यपालक/निदेशक/प्रबंधक/मालिक के हस्ताक्षर मुद्रा सहित

सेवा में

( )

अधिकारी का नाम

पदनाम, पता

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2009

G.S.R. 793(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 29 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Micro, Small and Medium Enterprises Development (Furnishing of Information) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006);

(b) "information" means any information as specified in rule 3 and includes any document in hard copy or soft copy;

(c) "Officer" means the officer appointed under sub-section (1) of Section 26 of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. **Information.**—The Officer may, for the purposes of the Act, by order require any person to furnish the following information, namely,—

(a) investment in plant and machinery in the case of enterprises engaged in the manufacture of goods as specified in clause (a) of sub-section (1) of Section 7 of the Act; or

(b) investment in equipment in the case of enterprises engaged in rendering services as specified in clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the Act.

4. **Furnishing of information to the Officer.**—(1) The information shall be furnished to the Officer in the Form annexed to these rules and sent by registered post or in person, as the case may be.

(2) On receipt of information, it shall be duly registered and given a serial number.

(3) The details of presentation and receipt of information shall be duly entered in the register maintained by the Officer.

[F. No. 2(3)(1)/2007-MSME Pol.-Pt.]

MADHAV LAL, Additional Secy. and Development Commissioner

FORM

(see rule 4)

FORM FOR INFORMATION TO BE FURNISHED FOR ASSESSMENT OF INVESTMENT IN PLANT AND MACHINERY OR EQUIPMENT

1. Date and number of the order under which information is sought :
2. Name of the Enterprise :
3. Entrepreneurs' Memorandum Number and date :
4. Address of the Enterprise :
5. Name of the Chief Executive or Director or Manager or Proprietor :
6. Address of the registered office of the Company/Limited Liability Partnership Firm :
7. The details of the information sought :

Sl.	List of plant and machinery or equipment installed	Month and year of installation	Purchase value item-wise (in Rs. lakhs)	Machinery or equipment excluded for computation for definition purposes	Any other information	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

8. Any other relevant information, if any :

9. List of enclosures :—

(1) bill or Invoice or Cash Receipt (Self-certified) are enclosed as a proof of the value of machine or equipment mentioned in column (4) of Para 7.

(2) document in support of column (5) of Para 7.

DECLARATION

I.................................(Name in full in block letters), son/daughter/wife of Shri..do hereby declare that the information and particulars in Paras 1 to 9 are true and correct to may best knowledge and belief and I have not suppressed any material facts relating thereto.

Place

Date

Signature of the Chief Executive/Director/Manager/Proprietor with seal

To,

( )

Name of the Officer

Designation

Address

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA
Udyog Bhawan, [illegible] Floor, [illegible]
[illegible] - 110[illegible]

अनुभाग ... 324
आवक क्र.
दिनांक 20-6-2012

DD(Mech)

दिनांक [illegible] मई, 2012

[illegible] कार्यालय ज्ञापन

[illegible] एमएसएमई विकास संस्थानों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए लिए जाने वाले शुल्कों में [illegible]

एमएसएमई विकास संस्थानों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए ली जाने वाले शुल्कों की [illegible] और इन्हें निम्न तालिका में दी गई दरों के अनुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।

क्रम संख्या	सेवाओं का विवरण	उद्यमों की श्रेणी जिसके लिए सेवा दी जाती है।	1 जुलाई 2012 से लिया जाने वाला शुल्क
	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना	सूक्ष्म उद्यम	5000 रु.
		लघु उद्यम	8000 रु.
		मध्यम उद्यम	10000 रु.
	ऊर्जा ऑडिट अध्ययन	सूक्ष्म उद्यम	3000 रु.
		लघु उद्यम	5000 रु.
		मध्यम उद्यम	10000 रु.
	परियोजना मूल्यांकन		0.5% (परियोजना लागत का आधा प्रतिशत) किंतु
		सूक्ष्म और लघु उद्यम	10000 रु. से अधिक नहीं
		मध्यम उद्यम	20000 रु. से अधिक नहीं
	क्षमता आकलन	सूक्ष्म उद्यम	2000 रु.

A copy of a ... service charges to be levied in Govt & beneficiaries be communicated to all State Govt functions like State Industries Dept, [illegible] and other organisations i.e. SEEL, BSPS [illegible]
20/06/12

कोल इंडिया लिमिटेड विक्रय तथा विपणन विभाग कोल भवन, प्रांगण सं 04 एमएआर, प्लाट सं - एएफ-III, एक्शन एरिया - 1ए न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता- 700 156 फोन: 033-23244214, फैक्स: 033-23244229 सीआईएन: L23109WB1973GO1028844 ईमेल : gmsnm@coalindia.in वेबसाइट : www.coalindia.in	कोल इण्डिया Coal India	COAL INDIA LIMITED SALES AND MARKETING DEPARTMENT COAL BHAWAN, PREMISE NO- 04 MAR PLOT- NO –AF-III, ACTION AREA-1A, NEWTOWN, RAJARHAT, KOLKATA -700 156 Ph:033-23244214,Fax: 033-23244229 CIN: L23109WB1973GO1028844 E-MAIL : gmsnm@coalindia.in WEBSITE : www.coalindia.in

Ref No. CIL/S&M/47252/1104 Date: 04.10.16

To
Shri Kartikeya Goel
Director
Directorate of Industries, Govt. of Chhattisgarh
Udyog Bhavan, Ring Road No.01,
Telibanndha, Raipur – 492006

Sub: New Coal Distribution Policy – Amendment regarding increasing the annual cap of coal through State Nominated Agencies and amending phrase of small and medium sector- regarding.

Dear Sir,

Keeping in view the requests for reconsideration of the guidelines as mentioned in the NCDP 2007 for upward revision of the limit of 4200 tons per annum, by increasing the limit to 10,000 tonnes per annum and also for removing the condition of the small and medium sector, Ministry of Coal vide OM no. 23011/90/2013-CPD dtd. 27.09.2016 (copy enclosed) has decided that the annual cap of 4200 tons per annum for sale through State Nominated Agencies (SNAs) be increased to 10,000 per annum and the phrase of small and medium sector to be amended as small, medium and others.

In view of above SNAs can now distribute coal in their state to small, medium and other consumers whose requirement is less than 10000 tons per annum and are not having access to purchase coal or conclude Fuel Supply Agreement (FSA) for coal supply with coal companies.

The State of Chhattisgarh was earmarked a quantity of 3.46 lac ton from SECL vide letter no. CIL/S&M/47252/138 dtd. 17.02.16 for the year 2016-17 and 17-18. We received nomination of Chattisgarh State Industrial Development Corporation Limited as SNA for 2016-17 and 17-18 recommending quantity of 2.00 lac tons per annum from SECL. You may recommend the balance earmarked quantity keeping in view the amendments of NCDP 2007 which has widened the scope of coal distribution by SNA.

RM
Khual
7-10-2016
Put up.

Yours faithfully,

General Manager (S&M)

Copy to: (with enclosures)

1. Chief Secretary, Chhattisgarh
2. Special Secretary, Govt. of Chattisgarh, Department of Commerce & Industries, Mantralaya, Mahanadi Bhavan, New Raipur-492002

Copy to:

3. GM (S&M), SECL
4. TS to D (M)

17086
18-10-16

258

F.No. 23011/90/2013-CPD
Government of India
Ministry of Coal

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 27.09.2016

OFFICE MEMORANDUM

Sub: New Coal Distribution Policy – Amendment regarding increasing the annual cap of coal through State Nominated Agencies and amending phrase of small and medium sector -regarding

The New Coal Distribution Policy (NCDP) was issued vide this Ministry' Office Memorandum No. 23011/4/2007-CPD dated 18.10.2007, laying down the guidelines for distribution and pricing of coal to various sectors. As per para 2.3 of the said policy, the scope of coverage through State Nominated Agencies was increased upto 4200 tonnes per annum.

2. There have been requests for reconsideration of the guidelines as mentioned in the NCDP 2007 for upward revision of the limit of 4200 tonnes per annum, by increasing the limit to 10,000 tonnes per annum and also for removing the condition of the small and medium sector citing the reasons that since only small and medium sector consumers having requirement of less than 4200 tonnes per annum were entitled to take coal through SNA, the large units having requirement of less than 4200 tonnes per annum were not recommended for coal by the District Industries Centre (DIC). Further that, the limit of requirement of less than 4200 tonne should be revised as the small units might have expanded over a period of time. It has been decided to consider amendment in the relevant provisions of NCDP so that the requirement of all consumers with less than 4200 tonne per annum could be upwardly revised.

3. With the approval of the competent authority, it has been decided that the annual cap of 4200 tonnes per annum for sale through State Nominated Agencies may be increased to 10,000 tonnes per annum and the phrase of small and medium sector as mentioned in NCDP, 2007 may be amended as small, medium and others.

4. Para 2.3 and Para 3.1 of the New Coal Distribution Policy issued vide O.M. No. 23011/4/2007-CPD dated 18.10.2007 stand modified to the above extent.

5. The above guidelines will also be applicable to the distribution of coal from Singareni Collieries Company Limited (SCCL).

6. CIL and its subsidiaries and SCCL are advised to take further action accordingly.

27/9/2016
(Pilli Ravi Kumar)
Under Secretary to the Government of India

To

1. Secretary, Ministry of Power, Shram Shakti Bhawan, New Delhi
2. Secretary, Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, new Delhi
3. Secretary, Ministry of Steel, Udyog Bhawan, New Delhi
4. Secretary, Deptt. of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi
5. Secretary, Deptt. of Commerce, Udyog Bhawan, New Delhi
6. Chairman-cum-Managing Director, Coal India Limited, Coal Bhavan, New Town Rojarhat, Kolkata.
7. Chairman-cum-managing Director, Singareni Collieries Company Ltd., Kothagudem Collieries P.O., Dist. Khammam, Telangana.
8. Advisor, Niti Aayog, Yogana Bhavan, New Delhi

Copy to

1. Prime Minister's Office (Director), South Block, New Delhi.
2. CMDs of BCCL, ECL, CCL, SECL, MCL, WCL & NCL.
3. PS to Minister of Coal, PS to MoS (Coal).
4. PSO to Secretary (Coal)
5. PPS to JS (RPG)
6. PPS to JS(RKS)

Copies also for information to:-

Chief Secretaries of all State Government / Union Territories.

27/9/2016
(Pilli Ravi Kumar)
Under Secretary to the Government of India

Copy to:

Technical Director, NIC, MoC with the request to upload this on the website of Ministry of Coal.

उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़
उद्योग भवन, रिंग रोड नं0 1, तेलीबांधा, रायपुर
फोन नं0 (0771) 2583652–54, फैक्स नं0 2583651
email address – dtic-directorate.cg@gov.in

(474)

(कच्चामाल कक्ष)

क्रमांक-- 01/क.मा./2011/ 20191-217 रायपुर, दिनांक 23 OCT 2017

प्रति,

मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
रायपुर/गरियाबंद/बलौदाबाजार/दुर्ग/बालोद/बेमेतरा/बिलासपुर/
मुंगेली/रायगढ़/ जगदलपुर/कोण्डागांव/राजनांदगांव/
जांजगीर–चांपा/ कोरबा/ अम्बिकापुर/सूरजपुर/बलरामपुर/
कोरिया/ महासमुन्द /कबीरधाम/ जशपुर नगर/धमतरी/
उत्तर बस्तर कांकेर /दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा/सुकमा/
बीजापुर/नारायणपुर ।

विषयः– कोल आबंटन की विधि/अनुशंसा ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पूर्व में कोल आबंटन/अनुशंसा हेतु संचालनालय स्तर से निर्देश जारी हुए है । परन्तु यह देखा जा रहा है कि – कोल आबंटन हेतु मुख्य महाप्रबंधकों/महाप्रबंधकों के द्वारा अलग अलग आधार से कोल आबंटन हेतु अनुशंसा की जाती रही है, अतः समस्त मुख्य महाप्रबंधकों/महाप्रबंधकों को सूचित किया जाता है कि कोल अनुशंसा करते समय निम्नानुसार गणना का ध्यान रखते हुए अनुशंसा की जावे :–

1. विगत तीन वर्षो के अधिकतम खपत :–
2. $\dfrac{\text{M.S.M.E द्वारा वार्षिक कोल खपत क्षमता का आकलन}}{\text{वार्षिक उत्पादन क्षमता}} \times \dfrac{\text{विगत 3 वर्षो का अधिकतम उत्पादन}}{1}$
3. कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा निर्धारित आदर्श मापदण्ड के अनुपात में अधिकतम उत्पादन (03 वर्ष) के लिये आवश्यक कोल की मात्रा ।
4. उपरोक्त में से जो भी कम मात्रा हो, मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा उपरोक्तानुसार अनुशंसा की जावे ।
5. अनुशंसित मात्रा के अतिरिक्त गत वर्ष की उपयोगिता जांच कर प्रतिवेदन प्रेषित करें ।

संयुक्त संचालक

उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़

उद्योग भवन, रिंग रोड नं0 1, तेलीबांधा, रायपुर

फोन नं0 (0771) 2583652–54, फैक्स नं0 2583651
email address – dtic-directorate.cg@gov.in

(कच्चामाल कक्ष)

क्रमांक– 01/क.मा./2011/18927-53 रायपुर, दिनांक 24 OCT 2019

प्रति,

मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
रायपुर/गरियाबंद/बलौदाबाजार/दुर्ग/बालोद/बेमेतरा/बिलासपुर/
मुंगेली/रायगढ़/ जगदलपुर/कोण्डागांव/राजनांदगांव/
जांजगीर–चांपा/ कोरबा/ अम्बिकापुर/सूरजपुर/बलरामपुर/
कोरिया/ महासमुन्द /कबीरधाम/ जशपुर नगर/धमतरी/
उत्तर बस्तर कांकेर /दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा/सुकमा/
बीजापुर/नारायणपुर/ (छ0ग0) ।

विषयः– कोल आबंटन हेतु संशोधित चेक लिस्ट 2019 ।

सन्दर्भः– संचालनालय का पत्र क0 11/क.मा./2008/13347–62 दिनांक 22.08.2008,क0 01/क.मा./2011/9278–95 दिनांक 13.06.2011 एवं क0 01/क.मा./2011/20191–217 दिनांक 23.10.2017 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मद्यम उद्योगों को कोल आबंटन की अनुशंसा हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश एवं कोयला प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र इत्यादि प्रेषित किये गये हैं, जिसे और अधिक स्पष्ट एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से संशोधित चेक लिस्ट (2019) तैयार किया गया है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित चेक लिस्ट (2019) के अनुरूप ही आवश्यक दस्तावेज एवं अन्य जानकारी सहित कोल आबंटन की अनुशंसा करते हुए संचालनालय को इकाई का आवेदन प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

(संचालक उद्योग द्वारा अनुमोदित)

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(डी0एस0 ध्रुवा)
उप संचालक
24/10/19

कोल अनुशंसा हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनिवार्यतः भेजे जाने वाले चेक लिस्ट (संशोधित) 2019 :–

(541)

क्र.	विवरण	रिमार्क
(1)	आवेदन पत्र, अतिरिक्त प्रपत्र में जानकारी एवं प्रपत्र–'अ' की सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से भरे हुए हो ।	
(2)	क्या इकाई जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में लघु उद्यम के रूप में पंजीकृत है ! उत्पादन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति तथा उद्योग आधार/ई एम–पार्ट–II जिससे वार्षिक उत्पादन क्षमता का ज्ञात हो सके । (संलग्न अनिवार्यतः करें) ।	
(3)	स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रत्येक बिन्दु की जानकारी दी जायें एवं महाप्रबंधक व्दारा किया गया भौतिक निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न हो, जिसमें महाप्रबंधक व्दारा प्रमाणित किया गया हो कि इकाई कार्यरत हैं अथवा नहीं /उत्पादन में जाने को तैयार है अथवा नहीं एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारी के मत से सहमत है अथवा असहमत है का भी उल्लेख हो । वार्षिक उत्पादन क्षमता का उल्लेख एवं सत्यापन भी करें ।	
(4)	क्या इकाई सूक्ष्म, लघु उद्यम एवं मध्यम की श्रेणी में है ?	
(5)	क्या इकाई को कोल इंडिया से लिंकेज प्राप्त है ?	
(6)	पिछले तीन वर्षों का उत्पादन एवं कोल खपत (खुले बाजार से क्रय एवं सी0एस0आई0डी0सी0 से प्राप्त) एवं सत्यापन	
(7)	एम.एस.एम.ई. का क्षमता आकलन प्रमाण पत्र	
(8)	गत वर्ष इकाई व्दारा कोयला कहाँ से एवं कितना प्राप्त किया गया उसके विरूद्ध उसके खपत की मात्रा क्या है स्पष्ट हो ।	
(9)	जो इकाई उत्पादन में जाने को तैयार है को छोड़कर शेष इकाईयों का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, रायपुर व्दारा प्रदाय क्षमता आकलन प्रमाण पत्र (कोल की मात्रा, ग्रेड एवं खपत का उल्लेख हो) अनिवार्यतः संलग्न करें। (छायाप्रति)	
(10)	उत्पादन में जाने को तैयार इकाईयों का क्षमता आंकलन प्रतिवेदन इस कार्यालय व्दारा कोल अनुशंसा सीएसआईडीसी प्रेषित किये जाने की सूचना प्राप्त होते ही उपलब्ध करावें ।	
(11)	रोलिंग मिल इकाई होने पर घोषणा–पत्र इकाई उत्पादनरत होने पर क्षमता आंकलन प्रमाण पत्र।	
(12)	इकाई व्दारा कोयला प्राप्ति एवं उपयोग संबंधी पंजी रखने संबंधी जानकारी की छायाप्रति मय जाँच प्रतिवेदन ।	
(13)	इकाई के पक्ष में क्या वित्तीय वर्ष हेतु पूर्व में अनुशंसा की गयी है ?	
(14)	सीएसईबी को भुगतान किये गये देयक की छायाप्रति ।	
(15)	यदि इकाई खनिज उत्खनन से संबंधित है तो सक्षम प्राधिकारी व्दारा जारी खनिज उत्खनन वैध लीज की प्रमाणित छायाप्रति	
(16)	जी.एस.टी. भुगतान का प्रमाण पत्र प्रमाणित ।	
(17)	खनिज पर अदा किये गए शुल्क/रायल्टी का प्रमाण पत्र ।	
(18)	क्या निरीक्षण प्रतिवेदन के अतिरिक्त ऐसे अन्य पहलुओं की भी जाँच निरीक्षणकर्ता अधिकारी व्दारा की गयी है जो कोयले की उपयोग को सुनिश्चित करता हो एवं कोल के दुरूपयोग को रोकने में सहायक हो ?	
(19)	पर्यावरण संरक्षण नियंत्रण बोर्ड से जारी अनुमति/सम्मति की सत्यापित	

.../10/2019

542

	छायाप्रति	
(20)	यदि इकाई खाद्य उत्पाद / खाद्य तेल एवं ऐसे ही अन्य उत्पाद से संबंधित हो हो खाद्य एवं ड्रग प्रशासन से जारी की गई परमिट की प्रमाणित प्रति	
(21)	**प्रस्तावित इकाई के संबंध में निम्नलिखित जानकारी संलग्न करें**	
	i भूमि की क्रय / लीज की जानकारी ।	
	ii स्थापित की गयी मशीनों / संयंत्रों की सूची	
	iii विद्युत कनेक्शन की स्थिति ।	
	iv जल स्त्रोत की जानकारी ।.	
	v वित्तीय व्यवस्था की जानकारी	
	vi कच्चामाल क्रय की जानकारी	
	vii शेड निर्माण की पूर्ण होने की जानकारी ।	
	viii इकाई उत्पादन में जाने को तैयार होने के संबंध में प्रमाण पत्र व सत्यापन	
(23)	इकाई व्दारा कोयला प्राप्ति पश्चात् आवक सूचना नियमित रूप से दिये जाने एवं उसकी उपयोगिता जॉच करने का प्रमाण पत्र।	

उक्तानुसार संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रकरण की स्थिति निम्नानुसार है:—

1.	इकाई का उत्पादन दिनांक	—
2.	उत्पाद का नाम	—
3.	वार्षिक उत्पादन क्षमता	—
4.	MSME का वार्षिक कोल क्षमता आंकलन	—
5.	GM की अनुशंसा	—
6.	वर्ष के अंत में शेष स्टॉक	—
7.	लीज डीड की वैधता दिनांक	—

COAL ALLOTMENT SYSTEM

1- Best year Consumption (03 वर्ष का अधिकतम खपत) नियमानुसार :— .... मे0टन

2- Formula

$$\frac{\text{M.S.M.E द्वारा वार्षिक कोल खपत क्षमता का आकलन}}{\text{वार्षिक उत्पादन क्षमता}} \times \frac{\text{विगत 3 वर्षो का अधिकतम उत्पादन}}{1} =$$

3- Coal India Norms :-- ------------------------

4- GM Recomendation :-- ----------------------

Lowest among them :- ---------------------- मे0टन

टीप :— सभी कोयला आबंटन संबंधी नियमों एवं निर्धारित प्रकियाओं का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें ।

(संचालक उद्योग द्वारा अनुमोदित)

(डी0एस0 ध्रुवा)
उप संचालक
22/10/19

D:\R M\Notesheet 2018-19-20.docx